अध्याय – 6

अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां

अध्याय 6: अन्य कर तथा कर–भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू–विज्ञान, तथा भू–राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। कर प्रबंध प्रत्येक विभाग के लिए अलग से निर्मित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 के दौरान खदान एवं भू–विज्ञान, विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क), भू–राजस्व तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) से संबंधित 52 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने 4,493 मामलों में ₹ 1.26 करोड़ से आवेष्टित रायल्टी की अवसूली/कम वसूली, ब्याज के अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई, **तालिका 6.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• रायल्टी तथा ब्याज	144	0.47
	• बिजली स्थापना फीस	4,273	0.10
2	नकल एवं स्यूटेशन फीस जमा न करवाना	75	0.05
3	विविध अनियमितताएं (मनोरंजन शुल्क)	1	0.64
योग		**4,493**	**1.26**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 4,280 मामलों में ₹ 0.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 4,253 मामलों में आवेष्टित ₹ 0.21 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 40 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ वसूल किए, जिनमें से 13 मामलों में आवेष्टित ₹ 0.01 करोड़ वर्ष 2014–15 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 24.92 लाख से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामले पर निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा की गई है:

खदान एवं भू–विज्ञान विभाग

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

6.2 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

पांच जिलों के संबंध में 81 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 24.92 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2011 तथा अप्रैल 2014 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 का नियम 30 प्रावधान करता है कि ईंट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने 20 जून 2012 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की तथा बी.के.ओज प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक निर्धारित दर पर अग्रिम में रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमश: 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज/ए.एम.ईज के पांच कार्यालयों[1] के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2013 से अक्तूबर 2014) कि 1,061 बी.के.ओज में से, 81 बी.के.ओज, जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 2011 तथा अप्रैल 2014 के मध्य परमिट जारी किए गए थे, ने रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2014 तक 21 से 48 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 15.48 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। परमिटों को रद्द करने तथा/या भू–राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 9.44 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 15.48 लाख की रायल्टी की वसूली नहीं हुई।

[1] ए.एम.ईज/एम.ओज: अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, जींद तथा नारनौल।

सभी ए.एम.ईज/एम.ओज ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2014 से अप्रैल 2015) कि ₹ 1.74 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 23.18 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित बी.के.ओज को नोटिस जारी किए गए थे। आगे, वसूली पर प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

चण्डीगढ़ (महुआ पाल)
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (शशि कान्त शर्मा)
दिनांक: **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक**